राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.6(10)वित्त(नियम)/2021 पार्ट जयपुर, दिनांक : 04 APR 2023

## आदेश

**विषय :–Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) के अन्तर्गत आउटडोर एवं इन्डोर चिकित्सा के सम्बन्ध में ।**

**सन्दर्भ :–वित्त (नियम) विभाग के आदेश क्रमांक प.6(10)वित्त(नियम)/2021 पार्ट दिनांक 19–12–2022, 23–12–2022 एवं 01–03–2023.**

वित्त विभाग के उपर्युक्त सन्दर्भित आदेशों के क्रम में आरजीएचएस के अन्तर्गत आउटडोर एवं इन्डोर उपचार के चिकित्सा पुनर्भरण दावों के सम्बन्ध में निम्नानुसार आदेश जारी किए जाते हैं :–

"चिकित्सा दावों के प्रस्तुत करने की अवधि उक्त सन्दर्भित आदेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रक्रिया के अनुसार दिनांक 15.04.2023 तक तथा निदेशक, कोष एवं लेखा द्वारा निस्तारित किए जाने की अवधि दिनांक 30.04.2023 तक बढ़ाई जाती है ।

यह आदेश माननीय मंत्रीगण/विधायकगण/पूर्व विधायकगण के दिनाक 31.10.2021 तक लम्बित चिकित्सा पुनर्भरण दावों के निस्तारण हेतु भी लागू होगा तथा सन्दर्भित आदेशों के अनुरूप ही निर्धारित प्रक्रियानुसार ये दावे भी RGHS Portal के Reimbursement Module से निस्तारित होंगे। परियोजना निदेशक, आरजीएचएस द्वारा माननीय मंत्रीगण/विधायकगण/पूर्व विधायकगण के दिनाक 31.10.2021 तक लम्बित चिकित्सा पुनर्भरण दावों के निस्तारण हेतु आवश्यक समन्वय किया जाएगा। "

(रोहित गुप्ता)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान ।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/ निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय/ राज्य मंत्री महोदय।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान ।
5. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव ।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
7. प्रशासनिक सुधार विभाग, (ग्रुप 7)
8. समस्त विभागाध्यक्ष ।
9. परियोजना निदेशक, आरजीएचएस, जयपुर ।
10. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
11. उप निदेशक, सांख्यिकी मुख्यमंत्री कार्यालय ।
12. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
13. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर ।
14. समस्त कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी ।
15. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल) ।
16. रक्षित पत्रावली ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :–

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर ।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।

(एस.ज़ेड.शाहिद)
संयुक्त शासन सचिव–II, वित्त (बजट)

(RSR....8.... / 2023)